कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री चन्द्रभानु, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री चितरंजन चूना उद्योग, ग्राम-छलेरा, गली नं0-02, सेक्टर-44, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा।**
प्रार्थना पत्र संख्या	**357 / 08**
प्रार्थी की ओर से	**श्री चितरंजन लाल शर्मा।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-357 / 08, दिनांक 28.8.08 प्रस्तुत किया गया जिसके माध्यम से चूना सफेदी, कली, चाक पाउडर, चाक मिट्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सलरी पाउडर पर कर की दर जाननी चाही है ?

2. उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-74, 89, 55 तथा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या-32 निम्नवत है :-

74	Lime, lime stone, dolomite & other white washing materials not elsewhere mentioned in any other schedule.

89	Ores and minerals.

55	Parts of Sprinkler Set,namely,-QRC Bands, QRC Service Saddle, QRCT , Sprinkler Nozzle, QRC Pump Connector and QRC & Cap.

32	Slate and slate pencils; takthi; Chalk stick and chalk powder ; Blackboard, jharan(duster).

3. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई के समय श्री चितरंजन लाल शर्मा उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा बताया गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस पर 4% की करदेयता पूर्व में ही कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा अपने आदेश दिनांक 25.9.08 द्वारा सर्वश्री जे0 के0 लक्ष्मी सीमेन्ट लि0, नोएडा के वाद में निर्धारित की जा चुकी है। अत: उक्त के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। जहाँ तक चूने का प्रश्न है, चूना उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-74 के अन्तर्गत आता है तथा चाक पाउडर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या-32 के अन्तर्गत आयेगा अथवा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-89 के अन्तर्गत minerals के अन्तर्गत आयेगा, यह स्पष्ट नहीं है। तथा चायना क्ले में मार्बल पाउडर मिला कर सलरी पाउडर का निर्माण होता है, इस पर कर की दर जाननी चाही है।

4. एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, नोएडा द्वारा अपने पत्रांक-1661, दिनांक 29.9.08 के साथ संलग्न डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-13, नोएडा के पत्र संख्या-197, दिनांक 27.9.08 द्वारा आख्या प्रेषित की

गयी है जिसके अनुसार चूना सफेदी / कली उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-74 के अन्तर्गत आने के कारण 4% की दर से कर देय होगी।

5. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र, प्राप्त आख्या एवं अन्य अभिलेखों का परिशीलन किया गया। पाया गया कि चाक पाउडर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या-32 के अन्तर्गत आने के कारण कर मुक्त है, परन्तु चाक मिट्टी mineral की श्रेणी में आने के कारण उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-89 के अन्तर्गत आने के कारण 4% की दर से कर देय है। चूना सफेदी / कली उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-74 के अन्तर्गत आने के कारण 4% की दर से कर देय होगी तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस के मामले में सर्वश्री जे0 के0 लक्ष्मी सीमेन्ट लि0 (प्रार्थना पत्र संख्या-323 / 08), दिनांक 25.9.08 को कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा दिया गया निर्णय प्रस्तुत मामले में भी प्रभावी रहेगा तथा सलरी पाउडर किसी भी अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। अत: इस पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत आने के कारण तथा अवर्गीकृत वस्तु होने के कारण 12.5% की दर से कर देय होगी

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 2 मार्च, 2010

ह0 /- 2.3.2010
(चन्द्रभानु)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

धारा-59
अनुभाग
उ0प्र0 मुख्यालय

2/3/2010
प्रमाणित प्रतिलिपि